भा. कृ. अनु. प. -भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
IMC Section/**आई. एम. सी. अनुभाग**
निदेशालय, नई दिल्ली-12/Directorate, New Delhi-12

फा संख्या -15-30/2025-आई.एम.सी/खंड-I | 100 — दिनांक: 25/06/2025

सेवा में,
सहायक प्रशासनिक अधिकारी,
कार्मिक-II अनुभाग,
भा.कृ.अनु.प.- भा.कृ.अनु.सं. नई दिल्ली-110012

विषय :-श्री फुदेनी मेहतो की शिकायत ।

महोदया,

कृपया संलग्न सीपीग्राम पंजीकरण संख्या पीएमओपीजी/डी/2025/0079455 दिनांक 29/04/2025, जोकि दिनांक 24/06/2025 को पोर्टल पर प्राप्त हुई, को देखें।

चूंकि यह मामला आपके अनुभाग/संभाग से संबंधित है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न मामले पर 21 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया उत्तर की प्रति आवेदक को सीधे उपलब्ध कराएं तथा इसकी सूचना आईएमसी अनुभाग को भी दें ताकि उसे सीपीग्राम पोर्टल और भा.कृ.अनु.सं. की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

सधन्यवाद ,

कार्तिक
25/06/2025
for नोडल अधिकारी (सीपीग्राम)

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि: प्रभारी ए.के.एम.यू., शिकायत को इंट्रानेट पर तथा भा.कृ.अनु.सं. की वेबसाइट पर शीर्षक "RTI Application" के अंतर्गत उपशीर्षक "Grievances received in I.A.R.I. & Replies" पर अपलोड करने हेतु ।

Details for registration number : PMOPG/D/2025/0079455

Name	Shri FUDENI MAHTO
Date of receipt	29/04/2025
Address	NIWASI - SARKARI HAT PUSA BAZAR PS- PUSA
District name	Samastipur
State name	Bihar
Mobile no	9801914702
Email Id	Not Provided
Grievance description	
TV	
Name of organisation(s) where grievance is pending	1. Indian Agricultural Research Institute
Type of receipt	Takenup

P-II

(125)

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
2 5 APR 2025
डाक अनुभाग / DAK SECTION

सेवा में ,

माननीय कृषि मंत्री महोदय,

भारत सरकार नई दिल्ली

विषयः— अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति एवं पेन्सन की राशि एवं अन्य बकाया राशि विभाग के द्वारा अभी तक नहीं देने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं फुदेनी महतो , उम्र— 61 वर्ष , पिता— स्व0 लक्ष्मी महतो , निवासी सरकारी हाट, पूसा बाजार , थाना— पूसा , जिला— समस्तीपुर में अस्थायी रूप से रह रहा हूँ चुँकि मेरे पिताजी आर्थिक तंगी के अभाव में घर तक का जमीन बेच दिए जो ग्राम महमदा , थाना— पूसा , जिला— समस्तीपुर में स्थित था लेकिन अपना घर न होने के कारण सरकारी हाट में गुजर बसर कर रहा हूँ । आगे श्रीमान् से कहना है कि मेरे पिता स्व0 लक्ष्मी महतो उनके पिता स्व0 मंगल महतो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कार्मिक —2 अनुभाग निदेशालय नई दिल्ली में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे जिनका स्थानांतरण आई0ए0आर0आई0 पूसा राज्य समस्तीपुर बिहार में हुआ और उनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 24.01.72 में हो गई । उसके पश्चात मेरी माँ सुदामा देवी मृतक के आश्रित पत्नी की हैसियत से मुझे अनुकंपा के आधार पर विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया और साथ में मेरी माँ पेंशन एवं अन्य बकाया राशि के लिए दावा किया लेकिन विभाग के द्वारा विलंब होने के कारण मेरी माँ भी लाभ का आशा देखते—देखते दिनांक 01.01.2006 को स्वर्गवासी हो गई। आगे श्रीमान् से कहना है कि मेरी माँ अनुकम्पा के लिए मेरे बड़े भाई मौजे महतो को नियुक्ति कराने हेतु दावा की थी लेकिन मेरा बड़ा भाई अस्वस्थ तथा दिव्यांग होने के कारण ही मेरा भाई नौकरी लेने से इंकार कर दिया और मुझे नौकरी देने का विभाग के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसके साक्ष्य के तौर पर मेरा भाई एक शपथ पत्र कारित किया जो अवलोकन के लिए आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ ।

D/o Agricultural Research
24

आगे श्रीमान् से कहना है कि मुझे विभाग के द्वारा कहा गया कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाओ तब मैं न्यायालय के द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया और श्रीमान् के अवलोकन हेतु आवेदन के

साथ संलग्न कर रहा हूँ। सभी कागजात उपलब्ध होने के बावजूद भी आज तक मुझे न अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गई और न ही पेंशन की राशि और न ही अन्य बकाया राशि दिया गया ।

आगे श्रीमान् से कहना है कि मेरे द्वारा विभाग को कई आवेदन लिखा गया लेकिन अभी तक मुझे कोई यथोचित जबाव भी न ही आया और न ही कोई राशि दी गई। नौकरी एवं राशि के इंतजार में मेरी माँ मर गई और मेरा उम्र भी निकल गया अब आस लगाए बैठा हूँ कि कब मुझे न्याय मिलेगा।

आगे श्रीमान् से कहना है कि मेरी पारिवारिक स्थिति भी पैसे के अभाव में ठीक नहीं है किसी भी प्रकार अपने जीवन को जी रहा हूँ मात्र आपसे ही एक आशा व अपेक्षा है कि मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति का उद्धार कब होगा।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर गौर कर विचार करते हुए मुझे नौकरी की मुआवजा राशि एवं मेरी माँ के पेंशन की राशि विभाग से दिलाने की कृपा की जाय।

इस कार्य के लिये मैं एवं मेरा पुरा परिवार श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगा।

आपका विश्वासी

फुदेनी महतो

पिता– स्व0 लक्ष्मी महतो
निवासी सरकारी हाट,

पूसा बाजार

थाना– पूसा

जिला– समस्तीपुर

Mob. No.- 9801914702

INDIA COURT FEE 50 Rs.

Schedule XLII-High Court(J)38(Old C.P.127)

SUCCESSION CERTIFICATE.

(Section 377 of the Indian Succession Act XXXIXof 1925.)

In the court of 3rd Addl.District Judge, Samastipur.

SUCCESSION CASE NO.20/1995.

To

1) Sudama Devi w/o Lakshmi Mahto, Late.

2) Phudani Mahto s/o Late Lakshmi Mahto,

Village Mahmadda, P.S. Pusa,

District-Samastipur.. .. .. Applicant.

Vrs.

1) Raj Kumari Devi w/o Nagendra Mahto,

of Village Pusa, P.S. Pusa, District-

Samastipur.. .. O.P.

Whereas you applied on the 11th day of Sept.'95 for a certificates under the Indian Succession Act 1925 in the matter of the estate of deceased, in respect of the following debts and securities, namely -Late Laxmi Mahto.

DEBTS.

Serial Number	Name of debtor	Amount of debt, including interest on date of application for certificate	Description anddate of instrument if any, by which the debt is secured.
1	2	3	4
1.	Indian Agricultural Research Institute Regional Station, Pusa for withdrawing the G.P.F.amount.		

[illegible] 26/ 91 200 3[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 20/54 [illegible]

[illegible]

TREASURY OFFICER
SAMASTIPUR

[illegible]

SECURITIES.

DESCRIPTION.				
Serial Number.	Distinguishing number of letter of security.	Name, title or Class or security.	Amount or Part value of security	Market value of security on date of application for certificate.
1	2	3	4	5

Let a succession Certificate be granted in the name of Sudama Devi wife of Late Laxmi Mahto of Village Mahmadda, P.S. Pusa, District Samastipur for ~~pxx~~ withdrawing the G.P.F. amounts alongwith interest.

This certificate is accordingly granted to you and empowers you to collect those debts and

1) to receive interest or dividends on
2) to negotiate or transfer
3) both to receive interest or dividends or, and to negotiate or transfer the securities any of them.

Dated this 27th day of March 2003 ,

Mazhar Imam 27/3/03
~~XXXXXX~~ X
O/C

Shristedar.

3rd Addl. District Judge,
27.3.03.
Samastipur.

To

Sr. Administrative Officer
Indian Agricultural Research Institute
New Delhi-12

Through:- Head, IARI, Regional Station, Pusa

Sir,

Kindly refer to your letter No.3-44 81.Pension-93-95 dt. 23.5.90 and subsequent letter No.5-235 81-Pension 1775 I dt,7.7.2001 from the Asstt. Admn. Officer insisting for the production of succession certificate from the court of Law for my entitlement of Family Pension and other dues of my husband late Laxmi Mahto Chowkidar, IARI Regional Station, Pusa who expired on 24.1.72 while on active service.

I am enclosing the succession certificate of which I could now obtain after a lapse of more than eight years from the date of its application in the court of law. Since this long period of nearly three decades or more since the death of my husband I have been subjected to untold misery and hardships leading a life of destitute for no fault of mine. I, therefore, hope that justice, which has so far been denied to me through the ignorance of my husband and lapses on the part of the office which could not incorporate my name in the service records, would now prevail upon and I would receive the followings dues at the earliest.

1. Payment of GPF along with the interest accrued
2. Payment of all monetary dues such as Death Gratuity and other benefits associated.
3. Grant of Family Pension
4. Employment of my only son on compassionate grounds.

Humbly praying for an early action.

Yours faithfully

(Sudama Devi)
W/o Late Laxmi Mahto

Encl. : Succession Certificate (original)

INDIA

दो रुपये | दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

शपथपत्र

[illegible] मैं [illegible] [illegible]

आत्मजे [illegible] राजेन्द्रनगर, [illegible] [illegible] के [illegible]

हूँ कि :-

1- [illegible] मेरे पिता पुत्र आरोहित [illegible] [illegible] और [illegible]

[illegible] और मेरे पिता [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] कुमार देवी को मिलता [illegible] हुये कोई आपत्ति नहीं होगा।

2- [illegible] मेरे पिता के [illegible] पर [illegible] [illegible] [illegible] के

के दोनों [illegible] को दो [illegible] हुये कोई आपत्ति या दावा [illegible]

3- मेरे उपरोक्त बयान दुरुस्त है।

[illegible]

[illegible] :-

मैं [illegible] करता हूँ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] नहीं है।

दिनांक [illegible]-10 [illegible]

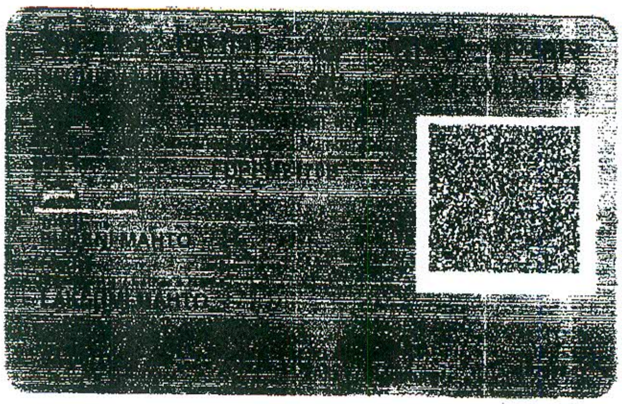

Indian agricultural Research Institute New Delhi no- 3-44/81 pension/93-95 के अनुसार

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया। (ए०पी०)

फारम संख्या—१०

(देखें नियम ९)

869554

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार

मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु अधिनियम १९६९ के धारा १२ / धारा १७ के अनुसार निर्गत

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से की गई है जो बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के पूसा तहसील (स्थानीय क्षेत्र) संबंधी रजिस्टर में है।

नाम स्व० लखनी महतो लिंग पुरुष

मृत्यु की तारीख २५.१.७२ रजिस्ट्रीकरण संख्या ०७

मृत्यु का स्थान महमदा रजिस्ट्रीकरण की तारीख २८-१-९७

पिता/माता का नाम स्व० मंगर

निर्गत-प्राधिकारी का हस्ताक्षर

मोहर

ग्राम पंचायत राज, महमदा प्र०-पूसा (समस्तीपुर)

(signature) 28.1.97

तारीख

रजिस्ट्रार

Attested True Copy.
(signature)
24.11.05.

Asstt. Administrative Officer,
I A R I - Regional Station,
PUSA (BIHAR)

अनु० 13-प्रपत्र संख्या 6:

बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

A

301202

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण--पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 8 के अंतर्गत निर्गत ।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है, जो बिहार राज्य के ......समस्तीपुर...... जिले के......पूसा...... तहसील (अंचल/प्रखंड) के......हरपुर महमदा...... (स्थानीय क्षेत्र) सम्बन्धी रजिस्टर में है।

नाम......सुदामा देवी...... लिंग......स्त्री......

मृत्यु की तारीख....01-01-06 (एक जनवरी दो हजार छः) मृत्यु का स्थान....पूसा बाजार (सरकारी हाट)

पिता/पति का नाम....स्व: लक्ष्मी महतो...... स्थायी पता....ग्राम+पो० हरपुर महमदा थाना-पूसा जिला समस्तीपुर......

रजिस्ट्रीकरण संख्या...10/06 (क)......

रजिस्ट्रीकरण की तारीख.06/07/06......

Attested True Copy.

Manchanda

A. K. Manchanda,

Drawing & Disbursing Officer,

A.R.I. Regional Station, Pusa

BIHAR-848125.

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

मुहर

तारीख..6..

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया

तार : कृषिपूसा
Telegram : KRISHIPUSA

दूरभाष : ३२
Telephone : 32

भा०कृ०अ०प०
ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय स्टेशन, पूसा (बिहार)
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
Regional Station, Pusa (Bihar)
848125

REGISTERED

संदर्भ संख्या/Ref. No. 290

Sd 27/1/87

To

The Sr.Admn.Officer(S)
IARI., New Delhi

Sub:-Grant of Family Pension to Mrs.Sudama Devi wife of late Sh.Lakshmi Mahto -Chawkidar.

Kindly refer to your letter No.3-44/81-Pension/963 dated 8.10.86 returning therein the Indeminity bond and the Affidavit for their execution on the non-judicial stamp Papers for further necessary action. The requisite papers are sent herewith with the request that the matter may kindly be expedited at an early date.

Thanking you,

Head 27/1
IARI-R.S.Pusa

Encl:-1.Affidavit duly executed
2.Indeminity bond duly executed.

मैं सुदामा देवी को पहचानता हूँ वह
लखनी महतो चौकीदार की औरत है।

[illegible]
[illegible]

Received payment of Rs. 70=30 (Rupees seventy and paise thirty) only.

R.T.I. of Sudama Devi
1.2.72.

श्री मान्
चीफ इंजीनियर साहब।
आई० एन० आर० आई० पूना।

सेवा में,

सविनय निवेदन यह है कि मेरे पति [illegible] का देहान्त 28 जनवरी 1962 को रात में हो गया। उनके सिवाय कोई कमाने वाला नहीं है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे उनके बकाया का रुपया दिलवाने की कृपा कर इस गरीब का सहारा करें।

आपकी इस मेहरबानी के लिये मैं सदा आभारी रहूँगी।

आपकी विश्वासी —

R.T.I.

दि० 9-2-1962

On verification & identification (सुगना देवी) the payment of the dues may be made to the widow.

14/2

P.T.O.

[illegible]

ANNEXURE A

INDEMNITY BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT we (1) Smt.Sudama Devi (herein after called the 'obligor') and (2)Ram Asis Mahto and (3)Sudist Narayan (hereinafter called the 'Sureties')are held and fully and firmly bound unt to the President of India (hereinafter called the 'Government')for the sum of Rs.........(Rupees.................................)for which payment to be well and truly made, we jointly and severally bind ourselves our respective heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns.

WHEREAS the Government has paid to the obligor a sum of Rs....... (Rupees.................................) (receipt of which the obligor hereby acknowledges) towards the family pension of the family of the late Sh.Lakshmi Mahto (hereinafter referred to as the 'family') for their family pension from............to..............and far the transport of the personal effects of the late Sh.Lakshmi Mahto frm...... to..............in consideration of his executing this bond with two sureties.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN BOND is such that if it tranpires that the said sum of Rs........has not been paid by the OBLIGOR to the family of the deceased and / or there is any claim hereafter from the family of the deceased for expenses for their family and for the transport of the personal effects of the deceased or for their any other journey then and in either of the said events this bond shall remain in full force and virtue otherwise the same shall be void and of no effect.

PROVIDED FURTHER AND IT IS HEREBY AGREED:-

(a) any for bearing, extension of time, or indulgence on the part of the Govt. or any officer to the obligor whether with or without the knowledge or consent of the sureties, shall not in any way release the said sureties, their heirs, executors administrators, legal representatives, and assigns from their liability under the above written bond.

(b) that the stamp duty on this bond shall be borne by the Govmnt

Signed and delivered by the above named obligor in the presence of

1.

2.

Signature of obligor

R.T.I. of Mrs Sudama Devi

Signed and delivered by the above named surety in the presence of

(1) Signature of Surety(1)

1.

2.

Signed and delivered by the above named surety (2) in the presence of

Signature of Surety (2)

1.

2.

Accepted for and on behalf of the President of India in the presence of (Signature of the authority accepting the bond)

1.

2.

Signature and addresses of the witnesses

1.

2.

Properly Stamped

Notary Samastipur (Bihar)

Sl. No. 2759 Date 29.11.86

Endorsed u/s 139 (c) of the Code of Civil Procedure 1908 (Act V of 1908)

Authorised ... Evidence ... With S. 8 (1) ... the Notaries Act (Act I ... of 1952)

Before Sri R.E.Roy,
Advocate, Notary,
Samastipur

AFFIDAVIT

I, Sudama Devi wife of late Laxmi Mahto aged about 53 years, resident of village-Mahmada, P.O. + P.S.Pusa, Distt.Samastipur, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am the legally married wife of my husband Laxmi Mahto deceased, who died as a Chaukidar in 1972 (Magh) IARI-R.S.Pusa (Bihar).
2. That my husband left behind him his son Fudeni Mahto two daughters Raj Kumari and Supania (who is dead) and all are dependent upon me.
3. That I am the only person entitled to the estate of deceased Laxmi Mahto.
4. That in case of any adverse claim or mistake in calculation of his pension I shall be liable.

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

I, identify the deponent who has put her LTI/Signature in my presence

Ram Bilash Roy 29.11.86
Advocate/Samastipur

Deponent

L.T.I of Mrs Sudama Devi

Sudama devi
Deponent

Solemnly affirmed before me
R.E.Roy
NOTARY 29-11-86
Samastipur Bihar (India)

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
I.C.A.R.- INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
कार्मिक-II अनुभाग, निदेशालय, नई दिल्ली – 110012
PERSONNEL-II SECTION, DIRECTORATE, NEW DELHI – 110012
Tel. No.:011-25843588, 25843994 (Extn. 4218), Fax: 011-25846420, Website: www.iari.res.in

संख्या 13–1/2020–का02 दिनांक : 27/7/2020

सेवा में,

Sh. Fudeni Mehto
s/o Late Sh. Laxmi Mehto
Village Mehmada, Post Pusa,
District Samastipur, Bihar- 848125

विषय : करूणामूलक नियुक्ति के संबंध में ।

आपके द्वारा करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपका मामला दिनांक 27/5/2020 को करूणामूलक नियुक्ति समिति की बैठक में 197 मामलों के साथ रखा गया। समिति द्वारा सभी मामलों पर डी.ओ.पी.टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-Estt(D) दिनांक 16/1/2013, 30/5/2013 एवं 5/9/2016 के नियमानुसार, आवेदक की आयु, आश्रितों की संख्या तथा आयु, आवश्यकता एवं अन्य जरूरतें, मृतक की वित्तीय स्थिति, आवेदक की सम्पति तथा प्राप्त अन्य लाभ आदि के आधार पर तय किए गए मापदण्डों के अनुसार विचार किया गया परन्तु आपका मामला करूणामूलक नियुक्ति हेतु निर्धारित 1 पद के लिए नहीं आ सका तथा आपका मामला करूणामूलक नियुक्ति समिति की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया । अतः आपका मामला भविष्य में आने वाले पदों के अनुसार सभी शेष मामलों के साथ करूणामूलक नियुक्ति समिति के समक्ष पुनः विचार हेतु रखा जाएगा ।

उपरोक्त के संबंध में आपसे निवेदन है कि उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र को भरकर अधोहस्ताक्षरी को भेजे अन्यथा भविष्य में होने वाली करूणामूलक समिति के समक्ष आपका मामला को यथावत विचार हेतु रखा जाएगा।

संलग्नः प्रपत्र

राजेश

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (का02)

कार्मिक-02 अनुभाग
Personnal-II Section
भा.कृ.अनु.प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR - Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली-110012
New Delhi - 110012
Telephone:- 011- 25843588/4218

F.No.14-1/2023-P.II **Dated: 15.07.2025**

सेवा में,

श्री फुदेनी महतो,
निवासी, सरकारी हाट, पूसा बाज़ार,
समस्तीपुर, बिहार-848101.

विषय: श्री फुदेनी महतो के CPGRAMS पोर्टल पर करुणामूलक नियुक्ति की शिकायत के संबंध।

महोदय,

CPGRAMS पोर्टल रेजिस्ट्रैशन संख्या. PMOPG/D/2025/0079455 दिनांक 29-04-2025 द्वारा रजिस्टर्ड करुणामूलक नियुक्ति के संबंध में शिकायत का सन्दर्भ ग्रहण करे।

उक्त के संबंध सूचित किया जाता है कि आपके पिता की मृत्यु 1972 में हुई थी, तत्पश्चात आपका करुणामूलक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2013 में आपके पिता की मृत्यु के 41 वर्ष पश्चात् इस संस्थान में प्रेषित किया गया था, जिसके कारण आपका करुणामूलक नियुक्ति मामला विलंबित मामलो कि श्रेणी में रखा गया तथा संस्थान की करुणामूलक नियुक्ति समिति के समक्ष 2014 से 2023 तक प्रत्येक बैठक मे रखा गया है। उपरोक्त के संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि संस्थान की करुणामूलक नियुक्ति समिति जिसमे संस्थान के वरिष्ट अधिकारी शामिल होते है, द्वारा तय किए गए मानदंडो के आधार पर सभी मामलों का विश्लेषण किया जाता है तथा अंकों के आधार पर करुणामूलक नियुक्ति समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

आपका करुणामूलक नियुक्ति का मामला संस्थान मे लंबित अन्य 212 मामलों के साथ करुणामूलक नियुक्ति समिति के समक्ष दिनांक 24-04-2023 को हुई बैठक मे विचार हेतु रखा गया था। उपरोक्त मानदंडो के आधार पर आपको केवल 20 अंक प्राप्त हुए थे तथा अनुशंसित किये गए आवेदकों के अंक 38 तथा 35 थे, जिसकी सूचना कार्यालय पत्र सं. 13-1/2020-का-2 दिनांक 25/07/2023 द्वारा आपको भेजी जा चुकी है।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आपकी आयु 61 वर्ष हो चुकी है, चूँकि सरकारी सेवा में सेवानिवृति की आयु-सीमा 60 वर्ष है। अतः 60 वर्ष की आयु पश्चात आप सरकारी नौकरी पाने के पात्र नही है।

यह पत्र निदेशक महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है।

शुभदा
15/7/25

(शुभदा गहलोत)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (का-II)
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

श्री कार्तिक
विनीता
15/07/2025

प्रतिलिपि:

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आई. एम. सी. अनुभाग के पत्र संख्या पत्र सं.15-30/2025-आई.एम.सी./पार्ट-I/100 दिनांक 25-6-2025 के सन्दर्भ में।

Diary No. 21
15/7/2025